न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

कदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
67ए/2015	22-07-2015	18/04/2022

उनवान

ल पुत्र छुट्टा जाति मेव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)।

------:: वादी

बनाम

य सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर

------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकराररहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

रण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकराररहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया जी साबिक खसरा नम्बर 309 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 709 रकबा 0.80 जो कि वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी साबिक खसरा मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा मिन वादी के चन्दर जाति मेव निवासी जैरोली तहसील तिजारा की कब्जा दारी की आराजी थी जिस पर मिन वादी का दादा बतोर खातेदार काश्तकार काबिज वो दाखिल था ने जीवन काल में फसले बोई व काटी समेटी है मौका पर वादी के दादा का वास्तविक कब्जा काश्त था त आराजी को खातेदार काश्तकार था जिसके नाम का अंकन भी खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व ाबन्दी संवत् 2019 लगायत 2022 में हो रहा है। वादी के दादा का देहान्त हो चुका है। जिसका एक मिन वादी है। विवादित आराजी जो कि वादी के दादा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस दी का दादा बतोर खातेदार काश्तकार काबिज वो दाखिल था मौके पर वादी के दादा का वास्तविक श्त था जो विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था जिसके देहान्त के बाद मिन वादी का चाचा कि लावल्द बिला औरत ही फोत हो गया इस प्रकार अब मिन वादी तन्हा काबिज वो दाखिल हो गया दिन भी मौका पर मिन वादी काबिज वो दाखिल है। संवत् 2029 में सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों एवं ों द्वारा नई जमाबन्दी पैमूद करते समय वादी के दादा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी को गलत र्व के रिकार्ड ऑफ राईटस जाकर विवादित आराजी को खातेदार से सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया वादित आराजी वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी और वादी का दादा इसी प्रकार खातेदार ो काबिज वो दाखिल था लेकिन सेटिलमेन्ट विभा द्वारा गलत रूप से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के को सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया है जो कि इन्द्राज मिन वादी के विरूद्व बातिल वो बेअसर है पाबन्दी है जिससे मिन वादी कतई पाबन्द नहीं है वादी अपने दादा की पूर्व इन्द्राज संवत् 2019-22 के

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज.

ादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जो इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में सवंत 2029 से ताहाल तक का अमल बतोर खातेदार काश्तकार के रूप में दरामद कराने का अधिकारी है। अतः डिक्री इजराय क मय दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी राजी हाल खसरा नम्बर 709 रकबा 0.80 है0 में से 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा र का खातेदार काश्तकार है वादी को इसी प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाद दुरूस्ती जस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2029 से ताहाल में वादी का नाम का अमल खातेदार काश्तकार के रूप में मद किया जावें।

वा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का न किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई बहस वादी का सुनी गई।

दी द्वारा केवल 2019–2022 संवत एक ही जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है शेष जमाबन्दी संवत् 2012 से संवत् 2029 से पूर्व की समस्त जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि 9 से पूर्व वादीगण के पूर्वज खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहे है। इसलिए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित ा उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप वादी का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

तः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

ादेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
267ए / 2015	22–07–2015	18/04/2022

उनवान

मल पुत्र छुट्टा जाति मेव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)।

——————:: वादी

बनाम

सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर

——————:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: पर्चा डिक्री ::—

का वाद खारिज किया जाता है।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0